रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-03062024-254523
CG-MH-E-03062024-254523

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 386] नई दिल्ली, सोमवार, जून 3, 2024/ज्येष्ठ 13, 1946
No. 386] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 3, 2024/JYAISHTHA 13, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 31 मई, 2024

(विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/183.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (खक) तथा धारा 12 की उप-धारा (1) एवं (1क) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा, और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 25 के तहत, प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा ।
2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 में,-

I. विनियम 7 में,

i. उप-विनियम (5) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक आ जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि जिस विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2024 के प्रारंभ होने की तारीख को मान्य न रहे और जिसने भारत में प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) या डेरिवेटिव में निवेश किया हुआ हो तथा जिसके पास वे प्रतिभूतियाँ या डेरिवेटिव हों, वह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2024 के प्रारंभ होने की तारीख से तीन सौ साठ दिनों के भीतर उसी प्रकार उन प्रतिभूतियों को बेच सकेगा या उन डेरिवेटिव में अपनी ओपन पोज़ीशन को समाप्त (वाइंड-अप) कर सकेगा, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।"

II. उप-विनियम (5) के बाद, निम्नलिखित नए उप-विनियम जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

"(6) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक रजिस्ट्रीकरण फीस (जिसका जिक्र दूसरी अनुसूची के भाग-क में किया गया है) तीन वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक हेतु, वह ब्लॉक शुरू होने से पहले, अदा करेगा:

परंतु यह कि किसी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के बारे में यह तभी माना जाएगा कि उसने इस उप-विनियम के अनुसार रजिस्ट्रीकरण फीस अदा कर दी है, जब वह पिछला ब्लॉक समाप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, रजिस्ट्रीकरण फीस और फीस अदा करने में हुई देरी हेतु फीस भी (जिसका जिक्र दूसरी अनुसूची के भाग-क में किया गया है) अदा कर दे:

परंतु यह और कि यदि कोई विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक अपेक्षानुसार रजिस्ट्रीकरण फीस और फीस अदा करने में हुई देरी हेतु फीस (यदि लागू हो) अदा न करे और यदि उसके बाद भी उसके पास वे प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) या वे डेरिवेटिव हों जिनमें उसने भारत में निवेश किया हुआ हो, तो ऐसे में वह उपरोक्तानुसार तीस दिनों की अवधि समाप्त होने की तारीख से तीन सौ साठ दिनों के भीतर, उन शर्तों आदि के तहत और उसी प्रकार उन प्रतिभूतियों को बेच सकेगा या उन डेरिवेटिव में अपनी ओपन पोज़ीशन को समाप्त (वाइंड-अप) कर सकेगा, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।

(7) इस विनियम के उप-विनियम (5) एवं उप-विनियम (6) के तहत और अवधि प्रदान किए जाने के बावजूद भी, बोर्ड अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई कर सकता है।

(8) जिस विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मान्य न रहे और जिसने इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार उन प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को न बेचा हो या उन डेरिवेटिव में अपनी ओपन पोज़ीशन को समाप्त (वाइंड-अप) न किया हो जिनमें उसने भारत में निवेश किया हुआ हो, उसके बारे में यह मान लिया जाएगा कि उसने उसी प्रकार उन प्रतिभूतियों को बट्टे खाते डाल (राइट-ऑफ कर) दिया है, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।"

III. विनियम 9 में, उप-विनियम (3) में, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"स्पष्टीकरण: इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, जिस विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक ने विनियम 7 के उप-विनियम (6) के अनुसार रजिस्ट्रीकरण फीस और फीस अदा करने में हुई देरी हेतु फीस अदा कर दी हो, उसके बारे में यह मान लिया जाएगा कि उसने निर्धारित तारीख के भीतर जरूरी फीस अदा कर दी है।"

IV. विनियम 22 में,

i. उप-विनियम (1) में, खंड (ख) में,

क. शब्द तथा चिह्न "जल्द से जल्द किंतु सात कार्य-दिवसों के भीतर," हट जाएँगे।

ख. शब्दों "लिखित में सूचित करेगा" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "लिखित रूप में सूचित करेगा (उसी प्रकार और उन समय-सीमाओं के भीतर जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए)" आ जाएँगे।

ii. उप-विनियम (1) में, खंड (ग) में,

क. शब्द तथा चिह्न "जल्द से जल्द किंतु सात कार्य-दिवसों के भीतर," हट जाएँगे ।

ख. शब्दों "सूचित करेगा" के बाद चिह्न तथा शब्द "(उसी प्रकार और उन समय-सीमाओं के भीतर जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए)" आ जाएँगे ।

iii. उप-विनियम (1) में, खंड (ङ) में,

क. शब्द तथा चिह्न "जल्द से जल्द किंतु सात कार्य-दिवसों के भीतर," हट जाएँगे ।

ख. शब्दों "सूचित करेगा" के बाद चिह्न तथा शब्द "(उसी प्रकार और उन समय-सीमाओं के भीतर जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए)" आ जाएँगे ।

iv. उप-विनियम (5) में,

क. शब्द तथा चिह्न "जल्द से जल्द किंतु सात कार्य-दिवसों के भीतर," हट जाएँगे ।

ख. शब्दों "को देगा" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "को उसी प्रकार और उन समय-सीमाओं के भीतर देगा, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए" आ जाएँगे ।

V. दूसरी अनुसूची में, भाग-क में, खंड 4 में, चिह्न "।" के स्थान पर चिह्न ":" आ जाएगा, और निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि यदि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक प्रवर्ग-I का हो, तो वह फीस अदा करने में हुई देरी हेतु प्रतिदिन 50 अमरीकी डॉलर की फीस अदा करेगा और यदि वह प्रवर्ग-II का विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक हो, तो वह फीस अदा करने में हुई देरी हेतु प्रतिदिन 5 अमरीकी डॉलर की फीस अदा करेगा (जहाँ कहीं भी लागू हो) ।"

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./155/2024-25]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019, मूल विनियम, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/36 द्वारा, 23 सितम्बर, 2019 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 तत्पश्चात् –

(1) 19 दिसम्बर 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2019/44, द्वारा

(2) 7 अप्रैल 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2020/09, द्वारा

(3) 17 अप्रैल 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

(4) 3 अगस्त 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

(5) 3 अगस्त 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2021/32, द्वारा

(6) 26 अक्तूबर 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी-एन.आर.ओ./जी.एन/ 2021/54 द्वारा

(7) 14 जनवरी 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/ जी.एन./2022/64, द्वारा

(8) 9 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान) विनियम 2022, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/99, द्वारा

(9) 14 मार्च, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन/ 2023/128, द्वारा

(10) 3 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137, द्वारा

(11) 10 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम 2023, सं. सेबी/एलएडी–एनआरओ/जीएन/2023/143, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 31st May, 2024

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (FOREIGN PORTFOLIO INVESTORS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/183 —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 read with sub-section (1) of Section 11, clause (ba) of sub-section (2) of section 11 and sub-sections (1) and (1A) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), and under Section 25 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Board hereby makes the following regulations, to further amend the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019, namely, –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2024.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019, –

I. In regulation 7,

i. in sub-regulation (5), the proviso shall be substituted with the following namely,-

"Provided that a foreign portfolio investor, whose certificate of registration is not valid as on the date of commencement of the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2024 and is holding securities or derivatives in India, shall be allowed to sell such securities or wind up their open position in derivatives in India within three hundred and sixty days from the date of commencement of the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2024 , in the manner specified by the Board."

ii. After sub-regulation (5), the following new sub-regulations shall be inserted, namely,-

"(6) A foreign portfolio investor shall pay the registration fees, as provided in Part A of the Second Schedule for every block of three years, before the beginning of such block:

Provided that the foreign portfolio investor shall be considered to have paid the registration fees in accordance with this sub-regulation, if it pays the registration fees along with the late fee, as provided in Part A of the Second Schedule**,** within a period of thirty days from the date of expiry of the preceding block:

Provided further that if the foreign portfolio investor does not pay the required registration fee and the late fee as may be applicable and continues to hold securities or derivatives in India, it shall be allowed to sell such securities or wind up their open position in derivatives in India within three hundred and sixty days from the date of expiry of thirty days as provided above, under such terms and conditions and in such manner as may be specified by the Board, from time to time.

(7) The additional period granted under sub-regulations (5) and (6) of this regulation shall be without prejudice to any action as may be initiated by the Board in accordance with the provisions of the Act and the regulations framed thereunder.

(8) A foreign portfolio investor whose certificate of registration is not valid and has not sold off the securities or wound up their open position in derivatives in India as per the provisions of

these regulations shall be deemed to have written off the securities in such manner as may be specified by the Board from time to time."

II. In regulation 9, in sub-regulation (3), the following shall be inserted, namely,- "Explanation: For the purpose of this sub-regulation, a foreign portfolio investor who has paid the registration fee and the late fee in accordance with sub-regulation (6) of regulation 7 shall be considered to have paid the required fees within the specified due date."

III. In regulation 22,

i. in sub-regulation (1), in clause (b),

a. the words and symbol "as soon as possible but not later than seven working days," shall be omitted.

b. after the words "in any material respect", the words and symbol ", in the manner and within the timelines as may be specified by the Board from time to time" shall be inserted.

ii. in sub-regulation (1), in clause (c),

a. the words and symbol "as soon as possible but not later than seven working days," shall be omitted.

b. after the words "furnished by him to the Board or designated depository participant", the words and symbol ", in the manner and within the timelines as may be specified by the Board from time to time" shall be inserted.

iii. in sub-regulation (1), in clause (e),

a. the words and symbol "as soon as possible but not later than seven working days," shall be omitted.

b. after the words "overseas regulator against it", the words and symbol ", in the manner and within the timelines as may be specified by the Board from time to time" shall be inserted.

iv. in sub-regulation (5),

a. the words and symbol ",as soon as possible but not later than seven working days," shall be omitted.

b. after the words "notice of its designated depository participant", the words and symbol ", in the manner and within the timelines as may be specified by the Board from time to time" shall be inserted.

IV. In Second Schedule, in Part A, clause 4, the symbol "." shall be substituted by the symbol ":" and the following proviso shall be inserted, namely,-

"Provided that a foreign portfolio investor shall, wherever applicable, pay the late fee of US $ 50 per day for Category I and US $5 per day for Category-II foreign portfolio investors."

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./155/2024-25]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019, the Principal Regulations were published in the Gazette of India on September 23, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/36).
2. The Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019 were subsequently amended on –

(1) 19th December, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/44.

(2) 7th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2020 vide No SEBI/LAD-NRO/GN/2020/09.

(3) 17th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.

(4) 3rd August, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.

(5) 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/32.

(6) 26th October, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/54

(7) 14th January, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/64

(8) 9th November, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/99

(9) 14th March, 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/128.

(10) 3rd July, 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/137.

(11) 10th August, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/143

5Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.06.03 22:32:00 +05'30'